सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 48 / 2021 दायर दिनाँक 02.03.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. ओम प्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी प्यांवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री भैरोसिंह वकील वादी

दिनाँक 03.09.2021

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 246 रकबा 58 बीघा 17 बिस्वा, वाकै सरहद प्यांवा है। इस खसरा की खातेदारी में उमाराम पुत्र लिछमणराम से संयुक्त खातेदारी में वादी का गलत नाम दर्ज है।

यह है कि उपरोक्त वर्णितानुसार खसरा सं0 246 की भूमि वादी उसके कुटुम्बिक सदस्यों की पैतृक कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि है जो कि पहले वादी के पूर्वजो के नाम से खातेदारी में अंकित रही पूर्वजो के फौत होने पर उनके जायज उतराधिकारी व वारीशान के नाम जरिये फौतगी नामान्तरण के खातेदारी में अंकित हुई है।

यह है कि वादी का वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी प्यांवा है यही नाम वादी के मतदाता पहचान पत्र में अंकित है यही नाम वादी के आधार कार्ड में अंकित है।

यह है कि उमाराम पुत्र लिछमण नाम खातेदारी में कतई गलत अंकित हुआ है, इस नाम का कोई व्यक्ति न तो पहले ग्राम प्यांवा में था और न वर्तमान में है, यह नाम वादी के नाम के बजाये कतई गलत अंकित हुआ है इससे वादी के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये है वादी गलत अंकित नाम का दुरूस्त करवा कर अपना सही नाम खातेदारी में अंकित कराने का कानूनी तोर पर हकदार है।

प्रार्थना वादी यह है किः–

कि खेत खसरा सं0 246 रकबा 58 बीघा 17 बिस्वा वाकै सरहद प्यांवा की खातेदारी में वादी का नाम जो उमाराम पुत्र लिछमण गलत दर्ज है की दुरूस्ती करवाकर इसके स्थान पर वादी का सही नाम खातेदारी में ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम अंकित करवाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया [illegible] वादी ओम प्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम का शपथ पत्र पेश हुआ [illegible] की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो सामिल मिसल है।

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का [illegible] किया। सरपंच प्यांवा की रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 246 में [illegible]दार का नाम उमाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:37:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पुत्र लिछमणराम के स्थान पर ओम प्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद प्यावां में सरपंच प्यावां की रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 246 में खातेदार का नाम उमाराम पुत्र लिछमणराम के स्थान पर ओम प्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **03.09.2021** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:37:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **48/2021** दायर दिनाँक **02.03.2021**

वादी		प्रतिवादीगण
1. ओम प्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी प्यांवा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक **03.09.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री भैरोसिंह वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद प्यावां में सरपंच प्यावां की रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 246 में खातेदार का नाम उमाराम पुत्र लिछमणराम के स्थान पर ओम प्रकाश पुत्र लक्ष्मणराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत....................—.................... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **03.09.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीक का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:37:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner